रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2013/ज्येष्ठ 30, 1935

No. 300] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2013/JYAISTHA 30, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2013

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2013

सा.का.नि. 386 (अ).— महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1989 में संशोधन का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त संशोधन इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अधिसूचना

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2013

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास की न्यासी बोर्ड पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1989 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

1. लघुशीर्ष और प्रारंभ :—

(1) ये विनियम, पारदीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2013 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1989 में, विनियम 16 में :-

(i) निम्नलिखित को उप विनियम (2) में स्थान दिया जाएगा :-

2736 GI/2013 (1)

"यदि कोई कर्मचारी दो महीने के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति की खरीद, बिक्री अथवा अन्य मामले में किसी प्रकार का लेनदेन करता है तो उस लेनदेन के बारे में सूचना अध्यक्ष को तत्काल दी जाएगी ।"

(ii) उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित को उप विनियम (3-अ) के रूप में शामिल किया जाएगा ।

"प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने नाम में अथवा परिवार के सदस्य के नाम में पट्टा, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या अन्य मामले में की गई किसी चल/अचल संपत्ति का अर्जन और/या निपटान के बारे में सूचना अनुलग्नक घ एवं च में उल्लिखित प्रपत्र में अधक्ष को दी जाएगी ।"

[फा.सं-पी.आर-12016/2/2013-पी.ई.- I]

एन. मुरुगानन्दम ,संयुक्त सचिव

नोट :- मूल विनियम को भारत के राजपत्र के असाधारण संस्करण में अधिसूचना संख्या: जी.एस.आर.682(ई) दि.5 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2013

PARADIP PORT TRUST EMPLOYEES (CONDUCT) AMENDMENT REGULATION, 2013

G.S.R. 386(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves to amend the Paradip Port Trust Employees (Conduct) Regulation, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said amendments shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

PARADIP PORT TRUST EMPLOYEES (CONDUCT) AMENDMENT REGULATIONS, 2013

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby make the following amendments to the Paradip Port Trust Employees (Conduct) Regulation, 1989.

1. **Short title and commencement.—**

   (1) These regulations may be called the Paradip Port Trust Employees (Conduct) Amendment Regulations, 2013.

   (2) They shall come into force on date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Paradip Port Trust Employees (Conduct) Regulation, 1989, in regulation 16:-

(i) Sub-regulation (2) shall be substituted as under:-

"An employee who enters into any transaction concerning any movable property exceeding two months of basic pay in value in case of an employee by way of purchase, sale or otherwise shall forthwith report such transaction to the Chairman."

(ii) After sub-regulation (3), the following shall be inserted as sub-regulation (3-A)

"Every employee on acquiring and/or disposing any movable/immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his/her own name or in the name of his/her family member shall intimate the same to the Chairman in formats as in Annexure D and E."

[F. No.PR-12016/2/2013-PE-I]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, notification number G.S.R.682 (E) dated the 5th July, 1989.